कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस नोट

दिनांक- 26.04.2026

थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा अन्तर्राज्यीय धोखाधडी ठगी करने वाले 07 शातिर अभियुक्त व अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।

अभियुक्तों के कब्जें से ठगी के 15.80 लाख रुपए बरामद ।

पंजीकृत अभियोग के 12 घण्टे के अंदर की गयी गिरफ्तारी ।

घटना-

दिनांक 23.04.2026 को थाना चकिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा बरहुवां स्थित शशि ज्वैलर्स के संचालक शशि प्रकाश वर्मा के साथ एक संगठित गिरोह द्वारा सुनियोजित तरीके से ठगी की गई। अभियुक्तों ने पहले असली सोने के छोटे दाने बेचकर पीड़ित का विश्वास जीता। इसके पश्चात 100 ग्राम से अधिक सोना देने का प्रलोभन देकर 16 लाख प्राप्त कर लिए। लेन-देन के बाद जब पीड़ित ने पोटली खोली, तो उसमें सोने के स्थान पर नकली चमकदार गुरिया (धातु के टुकड़े) पाए गए। घटना के उपरांत आरोपी अपने परिवार (महिलाओं व बच्चों) सहित मौके से फरार हो गए। वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा मु0अ0सं0-105/2026 धारा 316(2), 318(4) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही प्रचलित की गई।

कार्यवाही-

उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में थाना प्रभारी चकिया, अर्जुन सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा आज दिनाँक 26.04.2026 को समय लगभग 07.30 बजे सर्विलांस की मदद से प्राप्त साक्ष्यों एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर ठगी करने वाले 07 शातिर अभियुक्तों व अभियुक्ता को ग्राम सभा बेलावर ग्राम पिछवाडी के पहाडी के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से ठगी के 15.80 लाख रुपए बरामद किए गए। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे लोग का एक संगठित घुमंतू/खानाबदोश गिरोह है,(जो स्वंय को उडीसा के सोने के खदान में पूर्व में काम करने वाला बताते है जो वर्तमान समय में पेशे से मदारी बनकर घूमते रहते है।) जो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को सोना या अन्य कीमती धातु देने का झांसा देता था। पहले छोटे स्तर पर असली सामान देकर विश्वास अर्जित करते थे, फिर बड़ी रकम लेकर नकली सामग्री देकर फरार हो जाते थे। घटना के बाद ये गिरोह स्थान बदलकर अन्य क्षेत्रों में इसी प्रकार की वारदात को अंजाम देता था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1-गोविन्द प्रधान पुत्र उमाकान्त प्रधान निवासी वेटरा भदरक देहात वानीकपुर उडीसा ।

2- विष्णु प्रधान पुत्र सारंग प्रधान निवासी वेटरा भदरक देहात वानीकपुर उडीसा ।

3-दुखबन्धु पटरा पुत्र खण्डुराई पटरा निवासी दनकारीशाही टमका फारेस्ट ब्लाक कैझर धनकारीसाही जजापुर उडीसा।

4-सन्तोषी प्रधान पत्नी तपन प्रधान निवासी दसमनिया जजापुर उडीसा ।

5-कंचन प्रधान पत्नी विष्णु प्रधान निवासी वेटरा भदरक देहात वानीकपुर उडीसा ।

6-सन्तोषी प्रधान पत्नी पुरूषोत्तम प्रधान निवासी निवासी दसमनिया जजापुर उडीसा ।

7-बोधई प्रधान पुत्र सेन्डो प्रधान निवासी वारागाडिया कोलिंग नगर जजापुर उडीसा ।

गिरफ्तार अभियुक्तों के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

15.80 लाख रुपए ।